

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 15TH MAY, 1998
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

New Delhi the 15th May-1998


NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O. 973(E) dated the 14th December, 1995 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 16, Goat raising scheme, construction of building, dug well/stop dam and running of Kukru Development Plan Project at Village Kukru, Tehsil Bhainsdehi, District Betul, Madhya Pradesh of Santulan Society, C/o Energy Consultants, 27, Maharana Pratap Nagar, Zone-II, Bhopal-462011, Madhya Pradesh as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-97;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of Goat raising scheme, construction of building, dug well/stop dam and running of Kukru Development Plan Project at Village Kukru, Tehsil Bhainsdehi, District Betul, Madhya Pradesh of Santulan Society, C/o Energy Consultants, 27, Maharana Pratap Nagar, Zone-II, Bhopal-462011, Madhya Pradesh, at the estimated cost of rupees eight lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years commencing from assessment year 1999-2000.



(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10595
F.No. NC-29/98

भारत के राजपत्र अध्याचारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड 111 में दिनांक 15 मई 1998 को प्रकाशित

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

बई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1998

अधिसूचना


सं० आ०-----30। आयकर अधिनियम 1961।196। का 43। की धारा 35 क न के स्वच्छीकरण के अध्याचारण के साथ पठित अध्याचारण 111 के अन्तर्गत जारी दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना सं० आ० 973।3। द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, तहसील मंसदेही, जिला बेतुल, मध्य प्रदेश में संतुलन सोसाइटी, द्वारा एनर्जी कंसल्टेंट्स 27, महाराणा प्रताप बसर जोब-2 मोपात 4620।। न० प्र० की बकरियाँ पालने की स्कीम, मयन, कुर्ग/अवरोध बाँध का निर्माण और कुकर विकास प्लाब/परियोजना चलावे को विद्यारण वर्ष 1996-97 से आरम्भ होने वाले तीसरे विद्यारण वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विविर्दिष्ट किया था,।

और चूँकि इस परियोजना अथवा स्कीम के तीसरे वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और चूँकि राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उचित रूप से विष्पादित की जा रही है, आयकर अधिनियम 1962 के बियम 1। ड के उपबियम 5। के अन्तर्गत इसे और आगे दो वर्षों की अवधि के लिए विविर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ,

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961।196। का 43। की धारा 35 क न के स्वच्छीकरण के अध्याचारण के साथ पठित अध्याचारण 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंसदेही, तहसील मंसदेही, जिला बेतुल, मध्य प्रदेश में संतुलन सोसाइटी, द्वारा एनर्जी कंसल्टेंट्स 27, महाराणा प्रताप बसर जोब-2 मोपात 4620।।-न० प्र० की बकरियाँ पालने की स्कीम, मयन, कुर्ग/अवरोध बाँध का निर्माण और कुकर विकास प्लाब/परियोजना को चलावे की स्कीम

को मात्र आठ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले आठे दो और कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए एक मात्र परियोजना के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।



। सी० डी० सहमत ।

उप सचिव, भारत सरकार

नं०... 10595

फा० नं० रत० स० - 29/98